नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग, हरियाणा

नीलामी सूचना

जन साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशो की अनुपालाना में कान्त इंकलेव, सैक्टर–40, फरीदाबाद में 13 रिहायशी मकान (प्लाट न0 75, ब्लॉक–।।, प्लाट न0 82, ब्लॉक–।।, प्लाट न0 93, ब्लॉक–।।, प्लाट न0 96, ब्लॉक–।।, प्लाट न0 3, ब्लॉक–।।।, प्लाट न0 70, ब्लॉक–।।।, प्लाट न0 353, ब्लॉक–।।।, प्लाट न0 373, ब्लॉक–।।।, प्लाट न0 374, ब्लॉक–।।।, प्लाट न0 483, ब्लॉक–।।।, प्लाट न0 504, ब्लॉक–।।।, प्लाट न0 505, ब्लॉक–।।। एवं प्लाट न0 321, ब्लॉक– IV) तोड़े गये थे जिनका मलबा मौके पर पड़ा हुआ है। सभी 13 मकानो के मलबे की आरक्षित राशि ₹ 5,55,000/– (पॉच लाख पचपन हजार रूपये) आंकी गई है। उपरोक्त मलबे की खुली नीलामी 16.05.2019 को प्रातः 11 बजे मौके पर ही होनी निश्चित हुई है। सभी इच्छुक व्यक्ति/पार्टी निश्चित दिनांक एवं समय पर मौके पर उपस्थित होकर इस नीलामी में निम्नलिखित शर्तो के आधार पर बोली दे सकते हैः–

1- सभी इच्छुक व्यक्तियों/पार्टीयों को ₹ 25000/– (पच्चीस हजार रूपये) की अग्रिम राशि डी0डी0/पे ऑडर के रूप में वरिष्ठ नगर योजनाकार, फरीदाबाद के नाम बोली देने से पूर्व जमा करानी होगी तभी व्यक्ति/पार्टी बोली देने के हकदार होंगे। जो सफल बोलीदाता होगा उनकी धरोहर राशी रखी जाएगी एवं बाकी सभी की धरोहर राशि उसी दिन वापिस लोटा दी जायेगी।

2. सभी इच्छुक व्यक्ति/पार्टी मलबे का निरिक्षण मौके पर कर सकते है। बोली जहां है जैसा है के आधार पर होगी।

3. बोली समाप्त होने के उपरांत मलबे की सुरक्षा आदि की जिम्मेवारी सफल बोलीदाता की होगी।

4. बोलीदाता किसी भी प्रकार की कमी के बारे में आपत्ति नहीं करेगा और स्वयं जांच करके ही बोली करेगा। बोली का अंतर कम से कम ₹ 1000/– (एक हजार रूपये) अवश्य होना चाहिए।

5- बोली को रद्द करने का अधिकार वरिष्ठ नगर योजनाकार, फरीदाबाद को होगा।

6. सफल बोलीदाता को पूर्ण नीलामी राशि का 50 प्रतिशत उसी समय जमा कराना होगा जिसमें उसके द्वारा जमा कराई गई अग्रीम राशि को भी समायोजित कर दिया जाएगा। बाकि 50 प्रतिशत राशि 5 दिन के भीतर जमा करानी होगी। अगर किसी प्रकार से बोलीदाता 50 प्रतिशत बकाया राशि देने में असमर्थता दिखाता है तो उसके द्वारा विभाग में जमा कराई गई 50 प्रतिशत राशि को विभाग को उस जब्त करने का अधिकार होगा।

7. मलबा उठाने का कार्य 16 मई, 2019 से शुरू करना होगा एवं 16 जून, 2019 तक समाप्त करना होगा। 16 जून, 2019 तक मलबा उठाने का कार्य खत्म ना करने की स्थिति में ₹ 5000/– (पॉच हजार रूपये) प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना बोलीदाता को देना होगा। 26 जून, 2019 तक मलबा उठाने का कार्य खत्म ना करने की स्थिति में बोलीदाता का बचे हुये मलबे पर कोई अधिकार नहीं होगा एवं विभाग को किसी भी अन्य तरीके से मलबे को हटाने का अधिकार होगा।

8. मलबा उठाते समय आस–पास के अन्य किसी निर्माण, वनस्पति एवं पेड़ पौधों को कोई भी नुकसान होने पर सफल बोलीदाता पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। मौके से हर तरह का मलबा पूर्ण रूप से साफ किया जाना अनिवार्य होगा। कोई भी अवशेष बचने पर विभाग उसे हटवायेगा एवं उसका खर्च सफल बोलीदाता को देना होगा।

9. किसी भी मतभेद के निवारण करने का अधिकार वरिष्ठ नगर योजनाकार, फरीदाबाद को होगा जो कि अंतिम होगा और सभी पक्षों को मान्य होगा।

वरिष्ठ नगर योजनाकार,
फरीदाबाद।